संदर्भ सं.: पी.एम. एस.टी. एल./आर. टी.आई/2022/1720 **दिनांक** :20.05.2022

सेवा में,

श्री रूप चंद पुत्र श्री बलवीर सिंह,
निवासी ग्राम – सिकन्दरपुर, तहसील- गढ़मुक्तेश्वर
जिला - हापुड़ (उ०प्र०), मो. न. 8006231101

विषय :सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2022 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2022 जो कि पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लि. कार्यालय में दिनांक 06.04.2022 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको बिंदुवार सूचित किया जाता है:

बिंदु न.	बिंदुसार जिस पर जानकारी मांगी गई है	पी.एम.एस.टी. एल द्वारा प्रदान की गई जानकारी
1.	यह कि पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लि0 जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, कि स्थापना विधुत का वाणिज्यिक व्यापार करने हेतु सहायता करने के लिए किया गया है अथवा लोक हित में धर्मार्थ कार्य करने हेतु ।	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लि० की स्थापना वाणिज्यिक व्यवसाय हेतु की गयी है।
2.	यह कि पावर ग्रिड द्वारा विधुत का वाणिज्यिक व्यवसाय किया जाता है अथवा विधुत लोक हित में जनता को मुफ्त दी जाती है ।	पावरग्रिड द्वारा विद्युत का वाणिज्यिक व्यवसाय किया जाता है।

20/5/22

3.	यह कि यदि आप वाणिज्यिक व्यवसाय करते है तो आप किसी किसान की भूमि को बिना अधिग्रहीत किये एक ही किसान की कृषि भूमि के अधिकतम कितने रकबे को क्षतिग्रस्त कर सकते है ।	किसी किसान की कृषि भूमि में लगने वाले टावर या कार्य के दौरान पेड या फसल के मद में होने वाली क्षति की क्षतिपुर्ति दी जाती है । कार्य के दौरान कम से कम क्षेत्र की फसल को क्षतिग्रस्त करने कि कोशिश की जाती है । टावर की ठीक नीचे (टावर बेस के नीचे वाली भूमि) आने वाले भूमि की क्षतिपूर्ति विभिन्न टावरों के प्रकार के अनुसार रकबा निर्धारित होता हैं और उ. प्र. सरकार के दिशानिर्देशानुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है ।
4.	यह कि आप अपने सब-स्टेशन के अंदर जो भूमि अधिग्रस्त की है, उस के अन्दर से जाने वाली लाईनों की गैंटरियां अपनी अधिग्रहीत भूमि में बनायेंगे, या बिना अधिग्रहीत की बिलकुल पास वाली भूमि के स्वामी को उसकी संविधन में प्राप्त आजीविका की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिचार करतें हुए उसकी आजीविका के साधन को क्षति पहुंचायेंगे ।	पावरग्रिड सिम्भावली उपकेंद्र के बिलकुल बाहर लाइन के नीचे कोइ गैन्ट्री टावर नहीं लगाया जा रहा है ।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए. के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्रधिकारी

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर-16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोनन. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

. 2015/2

[ए.अहमद]

सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी.आई. ओ

पी. एम.एस.टी.एल, मेरठ

দশ টকা दश टाका ढस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ பத்து ரூபா दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO श्रीमान जन सूचना अधिकारी / श्रीमान सी०ई०ओ० महोदय RMSTL गंगानगर मेरठ को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT मेरठ

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

श्री रूपचन्द्र S/O भगवानसिंह
ग्रा० सिकन्दरपुर वह जनपद मेरठ

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

56F 937248

प्रेषक – श्री रूपचन्द पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड

प्रेषित – श्रीमान जनसूचना अधिकारी महोदय/श्रीमान सी0ई0ओ0 महोदय पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लि0 प्लाट नं0 1 पाकेट एन0 गंगानगर मेरठ 250001।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6–1 के अधीन प्रार्थना पत्र।

कृपया मुझे निम्न सूचना/जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. यह कि पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लि0 जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, कि स्थापना विद्युत का वाणिज्यिक व्यापार करने हेतु सहायता करने के लिए किया गया है अथवा लोक हित में धमार्थ कार्य करने हेतु।
2. यह कि पावर ग्रिड द्वारा विद्युत का वाणिज्यिक व्यवसाय किया जाता है अथवा विद्युत लोक हित में जनता को मुफ्त दी जाती है।
3. यह कि यदि आप वाणिज्यिक व्यवसाय करते हैं तो आप किसी किसान की भूमि को बिना अधिग्रहीत किये एक ही किसान की कृषि भूमि के अधिकतम कितने रकबे को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं।
4. यह कि आप अपने सब स्टेशन के अन्दर जो भूमि अधिग्रहत की है, उस के अन्दर से जाने वाली लाईनों की गेन्टरियां अपनी अधिग्रहीत भूमि में बनायेंगे, या बिना अधिग्रहीत की बिलकुल पास वाली भूमि के स्वामी को उसकी संविधान में प्राप्त आजीविका की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिचार करतें हुए उसकी आजीविका के साधन को क्षति पहुंचायेंगे।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना/जानकारी/उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपि निश्चित अवधि में प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी रूपचंद

दिनांकः–31.03.2022
संलग्नः– देय शुल्क 10 रूपये का भा0पो0आ0 सं0 56एफ0 937248।
नोटः– यह कि यदि सूचना आपसे सम्बन्धित नही है तो अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित को अन्तरित कर दें।

रूपचन्द पुत्र बलवीर सिंह
नि0 ग्राम सिकन्दरपुर तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड
मो0नं0–8006231101, 8006100311